न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 79 / 2017 (राजसमन्द डिक्री)

1. रामेश्वरलाल पिता नानालाल जी ब्राहमण, निवासी सिन्देसर कला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. लक्ष्मीलाल पिता रामेश्वरलाल जी ब्राहमण, निवासी सिन्देसर कला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. सोहनी पत्नी रामेश्वरलाल जी ब्राहमण, निवासी सिन्देसर कला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. कमला पत्नी लक्ष्मीलाल जी ब्राहमण, निवासी सिन्देसर कला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. पवन पिता स्वर्गीय श्यामलाल जी ब्राहमण, निवासी सिन्देसर कला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. सतीश पिता स्वर्गीय श्यामलाल जी ब्राहमण, निवासी सिन्देसर कला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. कंकुदेवी बेवा स्वर्गीय श्यामलाल जी ब्राहमण, निवासी सिन्देसर कला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. चुन्नीलाल पित टेका जी जाट, निवासी सिन्देसर कला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. मनोहरीदेवी पत्नी चुन्नीलाल जी जाट, निवासी सिन्देसर कला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. धनराज पिता त्रिलोक जी जाट, निवासी सिन्देसर कला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. इन्द्ररसिंह पिता अमरसिंह जी राजपूत, निवासी सिन्देसर कला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. कमली पत्नी किशन जी जाट, निवासी सिन्देसर कला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 रा0 का0
अ0–1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा दिनांक
25–05–2017 प्रकरण सं. 112/2014

———::———

उपस्थित (वक्तबहस) 1– श्री अक्षय पालीवाल अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री उदयलाल कुमावत अभिभाषक रे.सं. 1 से 3

———::———

निर्णय दिनांक 15–03–2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी/अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सिन्देसरकला में आराजी चाह नंबर 419 रकबा 4 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 का व 1/8 हिस्सा प्रतिवादी 8 व 9 का मिलाकर है तथा शेष हिस्सा वादी का है। खाते में धनराज पिता त्रिलोक प्रतिवादी संख्या 7 का नाम भी है, किन्तु उसने अपना हिस्सा वादी को दे दिया है व खाते में महताब जोजे मांगू का भी 1/6 हिस्सा दर्ज है, किन्तु उसने अपना हिस्सा वादी को विक्रय कर दिया है। उक्त आराजी चाह की भूमि के पास सटमा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का पश्चिम मुखी मकान बना होकर नव निर्माण हो रहा है, जिससे प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मन में बेईमानी आ जाने से उक्त भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते हैं एवं इस हेतु नव निर्माण मकान के आगे उक्त चाह की भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर अपने धन बल के आधार पर बरामदा बनाने हेतु नींव खोद दी है व जबरन निर्माण कार्य कर रहे हैं। अतएवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें, न ही कोई निर्माण करें। यदि किसी प्रकार का निर्माण दौराने वाद कर लिया जवे तो उसे आदेशात्मक निषेधाज्ञा से हटाया जावे।

वादी के उक्त वाद पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से वकील श्री भूपेन्द्र सनाढ्य ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 6, 7 व 9 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा प्रतिवादी संख्या 8 की तलबी में प्रकरण विचाराधीन था। दिनांक 06–04–2017 को दिनांक

24–05–2017 को पेशी दी गयी, परन्तु उसके पूर्व ही दिनांक 27–04–2017 को प्रकरण लोक अदालत सिन्देसर कला पर रखा जाकर पक्षकारान को नोटिस जारी किये जाने का अंकन किया गया, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार पक्षकारान को नोटिस जारी किये जाने का कोई सम्मन तलवाना प्रस्तुत नहीं हुआ है।

अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25–05–2017 को प्रकरण लोक अदालत में रखकर वादी की उपस्थिति था प्रतिवादीगण के अनुपस्थिति में वादी को सुनकर स्थाई निषेधाज्ञा का वाद डिक्री कर दिया है, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 26–12–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री का ज्ञान दिनांक 16–11–2017 को राजस्व लोक अदालत के निस्तारण सूची का अवलोकन करने से हुआ एवं उसी दिन नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया, जिसकी नकल दिनांक 30–11–2017 को प्राप्त कर अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की गयी।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री उदयलाल कुमावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण है। प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु लगभग 8–9 माह पूर्व

हो चुकी थी, जिसकी जानकारी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को थी, उसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री जारी कर दी है, जो शुरू से ही वोईड होकर शून्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण कैम्प में रखकर केवल मात्र वादों कै फैसले के आंकड़े बढ़ाने की दृष्टि से बिना पक्षकारों की आपसी सहमति के तथा बिना अपीलान्ट को सूचना दिये पृथक तिथि पर निर्णय पारित कर दिया है। प्रकरण में न तो वादी की साक्ष्य ली गयी है, न ही प्रतिवादीगण को जिरह का अवसर दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के विपरीत है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात एवं बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण लोक अदालत में रखे जाने बाबत् अपीलान्ट को सूचना नहीं दी गयी है तथा प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में, वादी की साक्ष्य लिये बिना तथा प्रतिवादीगण को जिरह का अवसर दिये बिना स्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में कब्जे के महत्वपूर्ण तथ्य एवं मयाद इत्यादि के बिन्दु पर वांछनीय फाईडिंग दिये बिना प्राकृतिक न्याय एवं स्थापित सिद्धान्त के विरूद्ध जाकर प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी कर दी है, जो प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–05–2017 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वादी की साक्ष्य लेकर एवं प्रतिवादीगण को उससे जिरह का अवसर देकर विधि के अनुसार में निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 15–05–2018 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 15–03–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

नारायणलाल दत्तक पुत्र भूरा कुम्हार, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द। बनाम **कालू पिता प्रताप कुम्हार, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**32 / 2013**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**रेलमगरा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....18**.....माह.....**04**.....**2013**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**14**.....माह.....**12**.....सन् **2015** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री डूंगरसिंह कर्णावत**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**अनुपस्थित**.....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–04–2013 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**14**.....माह.....**12**.....**2015** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।